प्रेस नोट दिनाँक 28.10.2025 जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 28.10.2025
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों की अवैध संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी-

प्रदेश स्तर का चिन्हित आपराधिक माफिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त छविनाथ यादव के विरुद्ध धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 अन्तर्गत अर्जित चल-अचल सम्पत्ति कुर्क

थाना मानिकपुर के अन्तर्जनपदीय गैंगलीडर छविनाथ यादव द्वारा आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति/ मकान का मूल्य 1,25,00,000.00 (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये) को किया गया कुर्क

धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत प्रदेश स्तर का चिन्हित आपराधिक माफिया अन्तर्जनपदीय गैंगलीडर छविनाथ यादव के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक-23.09.2025 को मकान कुर्क करने का आदेश किया गया था जारी -

अभियुक्त छविनाथ यादव उपरोक्त थाना मानिकपुर का मजरिया एच०एस० है जिसका एच०एस० नं0-05ए है, जो जनपद प्रतापगढ़ का प्रदेश स्तर का चिन्हित आपराधिक माफिया है। अभियुक्त उपरोक्त का गैंग जनपद स्तर पर संख्या डी-41 पंजीकृत है।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त/ गैंगलीडर छविनाथ यादव पर जनपद प्रतापगढ़ में 53 अभियोग है दर्ज

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनंदन राय के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.10.2025 को थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त छविनाथ यादव पुत्र सुन्दर यादव निवासी ग्राम करेंटी मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपनी पत्नी प्रियंका यादव के नाम पर क्रय की गई नेहरू नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, सादियाबाद उपरहार, तहसील सदर, जनपद प्रयागराज स्थित मकान संख्या 124/109 रायबहादुर रामचरनदास रोड (क्षेत्रफल 210 वर्ग गज, मूल्य लगभग ₹1.25 करोड़) की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किए जाने की कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 23.09.2025 के क्रम में श्रीमान उपजिलाधिकारी कुण्डा के नेतृत्व में संपन्न की गई।

जब्तीकरण टीम का विवरण- श्रीमान उपजिलाधिकारी कुण्डा, प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, अपराध निरीक्षक श्री संजय सिंह, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त / गैंगलीडर छविनाथ यादव पुत्र स्व० सुन्दरलाल यादव, निवासी करेंटी मऊदारा, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-16/2003, धारा-302, 34, 506, 120बी भा.द.वि. थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0-43/2007 धारा-110जी सीआर.पी.सी.थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0-129/2007, धारा-147, 148, 149, 342, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0-130/2007, धारा-147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

5. मु0अ0सं0-131/2007, धारा-147, 148, 149, 323, 504, 506, 307 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

6. मु0अ0सं0-199/2007, धारा 147, 148, 149,323, 504, 506, 427 भा.द.वि. थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

7. मु0अ0सं0-136/2007, धारा-25 आर्म्स ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

8. मु0अ0सं0-112/2008 धारा-2/3 यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ़

9. मु0अ0सं0-98/2009, धारा-110जी सीआर.पी.सी.थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

10. मु0अ0सं0-125/2010, धारा-188, 448, 332, 353, 436, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

11. मु0अ0सं0-229/2010, धारा-307 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

12. मु0अ0सं0-685/2009, धारा-120बी, 147, 148, 323, 504, 506 भा..वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज

13. मु0अ0सं0-699/2009, धारा-352, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

14. मु0अ0सं0-742/2009 धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकालाप निवारण अधिनियम 1986, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

15. मु0अ0सं0-270/2010, धारा-286, 323, 504, 506 भा.द.वि. व 4/5 विस्फोटक अधि० थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

16. मु0अ0सं0-41/2010, धारा-323, 504, 506 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

17. मु0अ0सं0-133/2010, धारा 110जी सीआर.पी.सी. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

18. मु0अ0सं0-287/2010, धारा-147, 148, 332, 448, 352, 504 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

19. मु0अ0सं0-330/2010, धारा-143, 188, 153ए भा.द.वि. व 126 (2) लो०प्र०अधि० थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

20. मु0अ0सं0-84/2011, धारा-323, 504, 506, 308 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

21. मु0अ0सं0-179/2011 धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट 1986, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

22. मु0अ0सं0-266/2011, धारा-110 जी सीआर.पी.सी.थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

23. मु0अ0सं0-44/2012, धारा-147, 148, 332, 504, 506 भा.द.वि. व लोकप्रति० अधि० थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

24. मु0अ0सं0-46/2012, धारा- 110जी सीआर.पी.सी. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

25. मु0अ0सं0-106/2012, धारा-307, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

26. मु0अ0सं0-21/2013, धारा-147, 148, 149, 302, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ़

27. मु0अ0सं0-247/2014, धारा-307, 504 भा.द.वि. थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

28. मु0अ0सं0-116/2016, धारा-307, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

29. मु0अ0सं0-229/2017, धारा-3 (1) गुण्डा अधि० थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

30. मु0अ0सं0-491/2017, धारा-504, 507 भा.द.वि.3 (1) 10 एस.सी.एस.टी. ऐक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

31. मु0अ0सं0-603/2017, धारा-307, 323, 504 भा.द.वि. थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

32. मु0अ0सं0-200/2018, धारा-147,148, 149, 323, 504, 506 भा.द.वि. व 3 (1)10 एससीएसटी ऐक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगड (383. मु0अ0सं0-344/18, धारा-153ए, 504 भा.द.वि. व 2/3 लो०स०क्षति निवा० अधि० थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

34. मु0अ0सं0-71/2019, धारा-341, 504, 506, 147, 148,307 भा.द.वि. थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

35. मु0अ0सं0-108/2019, धारा-448, 447, 379 भा.द.वि. व 2/3 लो०स०क्षतिनिवा० अधि०थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

36. मु0अ0सं0-165/2019, धारा-147, 394, 323, 504, 506 भा.द.वि. व 3 (2) 5एएससीएसटी ऐक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

37. मु0अ0सं0-189/2020, धारा-147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि. व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5ए एससी/एसटी ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

38. मु0अ0सं0-199/2020, धारा-2/3 यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

39. मु0अ0सं0-123/2020, धारा-188, 269 भा.द.वि. व 51 आ०प्र० अधि० थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

40. मु0अ0सं0-214/2020, धारा- 188, 269 भा.द.वि. व 51 आ०प्र० अधि० थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

41. मु0अ0सं0-162/2021, धारा-147, 148, 149, 323, 504, 506, 353, 336, 427, 171, 34, 188, 269 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट व 51 आ०प्र० अधि0 व 131, 132 (2) आर.पी.ऐक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० व 3 (1)डी.एम. ऐक्ट 2020 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

42. मु0अ0सं0-218/2021, धारा-147, 148, 323, 504, 506, भा.द.वि. व एससीएसटी ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

43. मु0अ0सं0-45/2022 धारा-147, 148, 323, 504, 506, 307, 120बी भा.द.वि. व 3 (2)5, 3 (1)द, 3 (1) ध, एससीएसटी ऐक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

44. मु0अ0सं0-220/2022 धारा-504, 506,332 भा.द.वि. थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

45. मु0अ0सं0-239/2022 धारा-386, 447, 504, 506 भा.द.वि. व 3 (1)द, 3 (1)ध व 3(2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

46. मु.अ.सं. 635/2023 धारा-386, 506 भा.द.वि.,थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

47. मु.अ.सं.-306/2023 धारा-120बी, 147, 148, 149, 323, 386, 504, 506 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

48. मु.अ.सं.-314/2023 धारा-409, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

49. मु.अ.सं.-315/2023 धारा-409, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

50. मु.अ.सं.-259/2024 धारा-111 (2)(बी),112 (2), 303 (2),329 (3) बी.एन.एस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

51. मु.अ.सं.-295/2024, धारा-386, 504, 506, 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा.द.वि. व 3 (1)द, 3(1)ध, 3 (2)5 एससीएसटी ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

52. मु.अ.सं.-187/2024, धारा-111 (2)(बी),112 (2),222, 303 (2), 329 (3) बी.एन.एस.,थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

53. मु.अ.सं.-188/2024, धारा-115 (2), 140 (1),191 (2),191 (3), 351 (2),352, 62 बीएनएस व 3(1)द, 3 (1)ध, 3(2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

नोट- प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम

नागरिक शांति व सुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

प्रेस नोट दि0-28.10.2025
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 अतुल सिंह व का0 सुधीर कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मु0अ0 7456/2023 राजपति - अभिषेक सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त आकाश शर्मा उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व० देव नरायण शर्मा निवासी गायघाट पूरेकेशवराय थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब लगभग 24 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आकाश शर्मा उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व० देव नरायण शर्मा निवासी गायघाट पूरेकेशवराय थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब लगभग 24 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 अतुल सिंह व सुधीर कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-28.10.2025
थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का० मुलायम यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान परिवाद सं0 1308/25 शंकरलाल बनाम देसई सरोज धारा 323/504/506 भादवि थाना लालगंज, प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त विजय सरोज पुत्र अज्ञात नि० ग्राम पूरे तिलकराम पंडित का पुरवा पो० ढिंगौसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. विजय सरोज पुत्र अज्ञात नि० ग्राम पूरे तिलकराम पंडित का पुरवा पो० ढिंगौसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का० मुलायम यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 28.10.2025
थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत चौपई पुल ग्राम चौपई के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना दिलीपपुर प्रभारी श्री अंकुर कैथवास के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 श्री पंकज कुमार वर्मा, कांस्टेबल आशीष कुमार, का० लक्ष्मण सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत चौपई पुल ग्राम चौपई के पास से 02 अभियुक्तों, 01. मो0 बादशाह पुत्र मो0 यासीन निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारसूस 315 बोर व 02. शहबाज पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारसूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से नाजायज तमन्चा, कारतूस बरामदगी के संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0स0 189/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो0 बादशाह पुत्र मो0 यासीन निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

02. शहबाज पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 श्री पंकज कुमार वर्मा, कांस्टेबल आशीष कुमार, का० लक्ष्मण सिंह, थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-28.10.2025
थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त मोहित सरोज गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी की नाबालिग पुत्री को मोहित सरोज सुत कमलेश सरोज निवासी ग्राम सरैया प्रवेशपुर थाना हथिगवाँ दिनाँक 23-10-2025 को बहला फुसला कर भगा ले गया है। इस संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 अन्तर्गत धारा- 87/137 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 लोकेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा- 87/137(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 01 अभियुक्त मोहित सरोज पुत्र कमलेश सरोज नि0

सरैया प्रवेश पुर थाना हंथिगवा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रातंर्गत मझिलगांव अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मोहित सरोज पुत्र कमलेश सरोज नि0 सरैया प्रवेश पुर थाना हंथिगवा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 लोकेश कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-28.10.2025
थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह पीआरडी अरविंद दुबे, का० रवीन्द चौधरी चालक होगा आशिफ अली द्वारा देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी,चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन, बैंक, एटीएम, टायनी शाखा, पेट्रोलपम्प, तलाश वांछित/वारण्टी/अपराधीगण,रात्रि चेकिंग,रात्रि गस्तके दौरान एसटी नं0 2872/20 अ0सं0 108/89 धारा 495 भावि बनाम कासिम थाना लालगंज प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त शब्बीर पुत्र जुमई नि० ग्राम सरदार का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शब्बीर पुत्र जुमई नि० ग्राम सरदार का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह

प्रेस नोट दिनांक 28.10.2025
थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

फर्जी सूचना देकर बरात का माहौल बिगाड़ने वाले 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया-

थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत सनराईज मेरिज हॉल जेठवारा रोड खरगीपुर में झगड़ा-फसाद एवं गोली चलने की सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई

कॉलर धनंजय वर्मा पुत्र रामेश्वर वर्मा निवासी लाखीपुर कपसा नारंगपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा डायल-112 पर सूचना दी गई कि सनराईज मेरिज हॉल में लगभग 500 लोगों में झगड़ा-फसाद व गोलीबारी हो रही है तथा 50 लोग घायल हैं।

सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक हेमन्त कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 वीरेंद्र यादव एवं चीता मोबाइल के कर्मचारी का0 शिवराम मिश्रा व का0 शक्ति तत्काल मौके पर पहुंचे।

मौके पर उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी तथा विवाह समारोह शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो रहा था।

पूछताछ में लोगों द्वारा बताया गया कि कॉलर धनंजय वर्मा अपने साथी अजय वर्मा पुत्र शोभनाथ वर्मा निवासीगण लाखीपुर कपसा नारंगपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के साथ शराब के नशे में था तथा फर्जी सूचना देकर बरात का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था।

दोनों व्यक्तियों को मौके पर नशे की हालत में पाया गया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान पुलिस बल एवं उपस्थित लोगों से उलझने का प्रयास किया जिससे शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई।

उक्त दोनों के विरुद्ध फर्जी सूचना देने एवं शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बयान-

पुलिस का कहना है कि ऐसी भ्रामक व झूठी सूचनाएँ प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की हरकतें न केवल पुलिस बल का अनावश्यक दुरुपयोग कराती हैं, बल्कि शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास भी होती हैं। आमजन से अपील है कि किसी भी सूचना को बिना सत्यापन के प्रसारित न करें, अन्यथा फर्जी सूचना देने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।